वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2022-23

एपीडा
APEDA

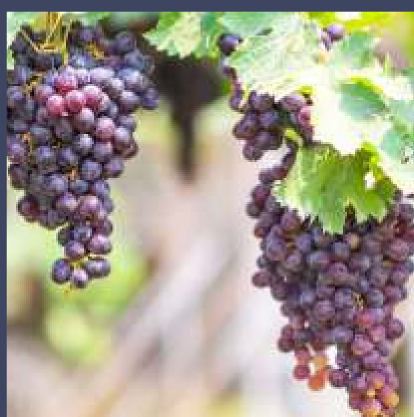

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

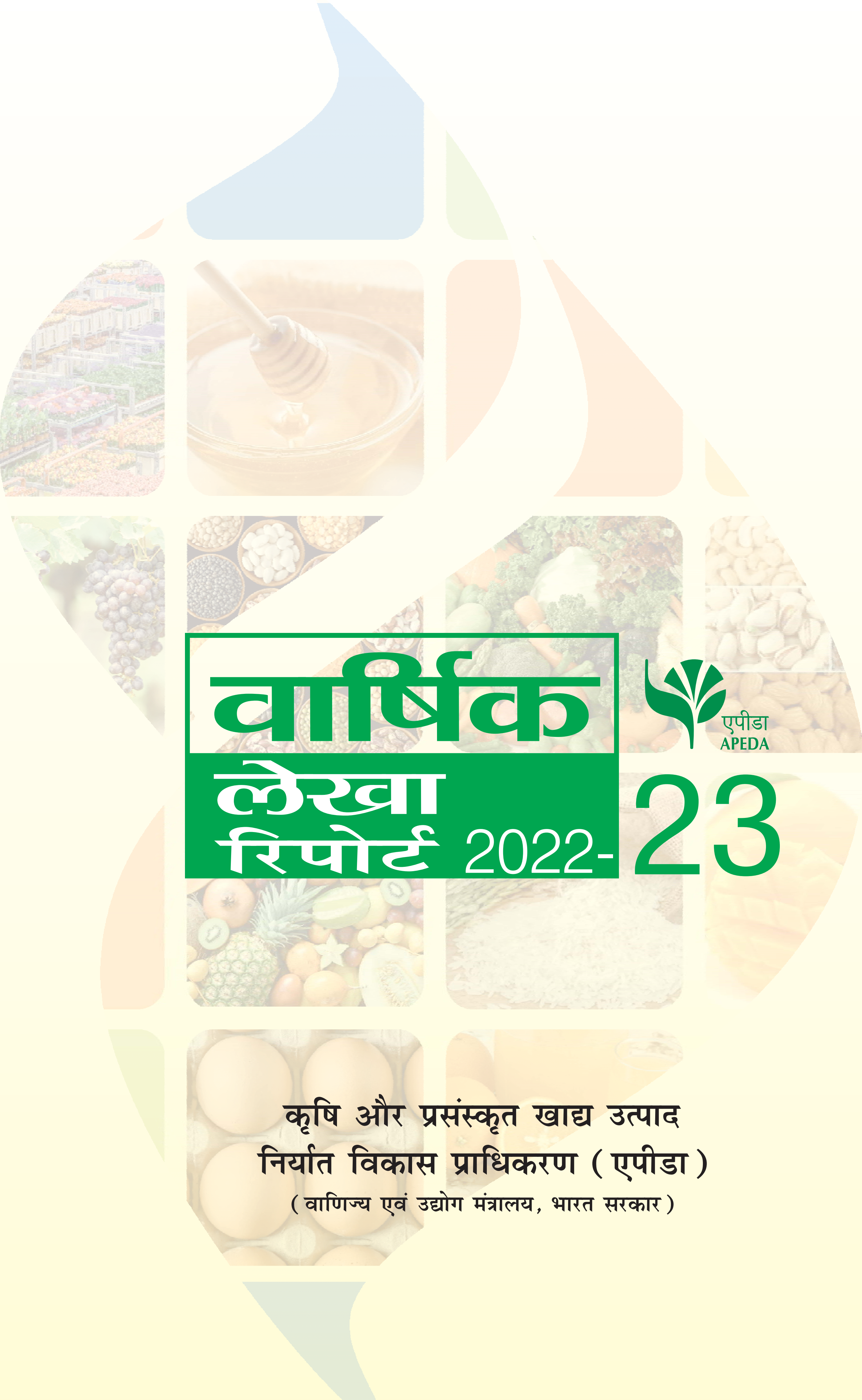

वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2022-23

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

विषय सूची

1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	5
2.	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	10
3.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	11
4.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां (1 – 2)	12
5.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (3)	13
6.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (4 – 6)	14
7.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (5)	15
8.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (7)	16
9.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (8, 9 और 10)	17
10.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (11 और 12)	18
11.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (13 और 14)	19
12.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (15 और 16)	20
13.	मार्च 31, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (1, 2 और 3)	21
14.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (4, 5, 7, 8)	22
15.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (6)	23
16.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (9, 10 और 11)	24
17.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (1, 2 और 3)	25
18.	31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (4)	26
19.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता	27
20.	वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए लाभ समाधान विवरण(Profit Reconciliation Statement)	28
21.	अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	29
22.	अनुसूची 18 – आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	31

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के खातों के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और कृ षि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 18(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा) की संलग्न तुलन–पत्र की और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है द्य ये वितीय विवरण एपीडा के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैंद्य हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हैद्य

2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण और सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतीयों, लेखांकन मानदंडों और प्रकटन मानकों आदि के अनुपालन के लिए अपनायी गयी लेखांकन कार्य विधि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ दी गई हैंद्य कानूनों, नियमों तथा विनियमों(मालिकाना तथा नियमितता) और दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के लिए वित्तीय लेन–देन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से की जाती हैद्य

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है द्य इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है की हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें की क्या वित्तीय विवरण में कोई उल्लेखनीय गलत विवरण तो नहीं दिया गया है द्य एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि तथा प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है द्य एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मुल्यांकन करना भी शामिल है द्य हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए उचित आधार होती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किरू

(i) हमने वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से अनिवार्य थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लेखनीय तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखाध्प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं।

(ii) हमारी राय में एपीडा ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा18(1) के अंतर्गत लेखों की उचित बही और अन्य संगत रिकॉर्ड रखें हैं जैसा की हमारे द्वारा ऐसी खाता बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

(iv) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. आय एवं व्यय खाता

क.1 अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–14): ₹ 934.10 लाख

उपरोक्त में मार्च, 2023 माह के लिए विभिन्न सलाहकारों को वेतन के लिए देय ₹ 26.16 लाख की राशि शामिल नहीं है, मेसर्स स्क्वाड 7 सिक्योरिटी एंड अलाइड सेर्विसेस को आउटसोर्स्ड जनशक्ति(Manpower) वेतन के लिए मार्च, 2023 माह के लिए 16.17 लाख और मेसर्स एनी टाइम सिक्योरिटी सर्विसेज को ₹ 3.17 लाख का भुगतान एपीडा को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए देय है ।

इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय और वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान ₹ 45.51 लाख कम करके दर्शाया गया है और वर्ष के लिए घाटे को समान राशि कम कर के बताया गया है।

ख. सामान्य टिप्पणी

ख.1 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय (अनुसूची–15): ₹ 8,000.55 लाख बाजार विकास: ₹ 4,478.99 लाख

उपरोक्त में एपीडा द्वारा अपने प्रशासनिक व्यय के लिए किया गया ₹ 13.71 लाख का व्यय शामिल है।

वर्ष 2022–23 के दौरान एपीडा को वित्त आयोग चक्र (2021–22 से 2025–26) में विशेष रूप से एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के घटक बाजार विकास के लिए ₹ 500.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

उक्त अनुदान में से ₹ 13.71 लाख की धनराशि एपीडा द्वारा बोर्ड बैठकों के संबंध में भुगतान/व्यय की गयी जो कि एक प्रशासनिक व्यय है और एपीडा के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए। एपीडा द्वारा प्रशासनिक व्ययों के लिए उपयोग की गई राशि को अनुदान की अव्ययित शेष के रूप में माना जाना चाहिए, इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को लौटाए जाने योग्य प्रतिदेय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

(ग) अनुदान सहायता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एपीडा को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए नियोजित योजना ("निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता") ₹ 5.40 करोड़ और नियोजित योजना अन्य क्षेत्रों के लिए ₹ 74.60 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। ये सहायता तीन वस्तु शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त हुई:

(राशि रूपये में)

वस्तु शीर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहायता	निर्यात और अन्य क्षेत्रों के लिए सहायता
01.31– अनुदान सहायता–सामान्य	2,00,00,000	5,00,00,000
01.31– सब्सिडी	2,00,00,000	46,00,00,000
01.35– पूंजीगत संपत्ति के निर्यात के लिए अनुदान	1,40,00,000	23,60,00,000
कुल	**5,40,00,000**	**74,60,00,000**

एपीडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए अनुदानों का आवंटन और इन योजनाओं के अंतर्गत बुक किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:

वस्तु शीर्ष	प्राप्त सहायता (₹)	एपीडा के संबंधित योजना घटक	वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया गया खर्च (₹)	अधिक/कम उपयोग (₹)
अनुदान सहायता सामान्य	5,00,00,000	बाजार विकास	44,78,99,783	(39,78,99,783)
सब्सिडी	46,00,00,000	गुणवत्ता विकास	6,21,21,188	39,78,78,812
पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	23,60,00,000	अवसंरचना के निर्यात के लिए विकास	23,60,29,041	(29,041)
पूर्वोत्तर विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता	5,40,00,000	पूर्वोत्तर विकास निधि	5,40,04,761	(4,761)
कुल	**80,00,00,000**		**80,00,54,773**	**(54,773)**

उपरोक्त से, यह देखा गया कि कुल मिलाकर, एपीडा ने वर्ष 2022–23 के दौरान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का पूरा उपयोग किया है। हालाँकि, एपीडा ने श्सब्सिडीश के वस्तु शीर्ष के तहत किया प्राप्त राशि का उपयोग बाजार विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जबकि इसे योजना घटक "गुणवत्ता विकास" (परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार) और इसके विपरीत के लिए स्वीकृत किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ है कि गलत मदों के तहत व्यय को दर्शाया गया है ।

एपीडा द्वारा कार्यान्वित योजना घटकों को अनुदान के उद्देश्य सम्मत किया जाना चाहिए जैसा कि मंत्रालय के मंजूरी आदेशों में निर्दिष्ट है और अनुदान का उद्देश्य एपीडा के खातों में बिना किसी अस्पष्टता के उचित रूप से दर्शाया जाए।

(घ) जिन कमियों को इस अलग लेखापरिक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम में प्रबंधन के ध्यान में लाया गया।

(v) पिछलें पैरों में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं की इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण और लेखांकन नीतियाँ और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ, उपयुक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के शर्ताधीन रहते हुए, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसार एक सही तथा उचित ब्यौरा देते हैं।

(अ) जहां तक यह 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तुलन–पत्र और वित्तीय स्थिति से मेल खाता है। और

(b) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की घाटा राशि आय एवं व्यय लेखा से मेल खाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक:14 दिसंबर 2023

(अमन दीप चट्ठा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
उद्योग और कॉर्पोरेट मामले

लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अलग करने के लिए अनुबंध
(31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के लेखों पर)

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

एपीडा का कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नही है और वाणिज्य विभाग आंतरिक लेखा परीक्षा करता है। वर्ष 2022–2023 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नही की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

एपीडा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं

प. एपीडा के पास लेखों मैन्युअल नहीं है।

पप. एपीडा द्वारा एमआईएस का उपयोग नहीं किया जाता है।

सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए एपीडा द्वारा उपलब्धि सह निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मुख्यालय, नई दिल्ली में किया गया। हालाँकि, वर्ष 2022–23 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों में संपत्तियों को भौतिक सत्यापन नही किया गया।

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

एपीडा के लेकों में 31 मार्च 2023 तक कोई इन्वेंट्री नहीं है।

5. संविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

एपीडा ने नियमित रूप से संविधिक देयताओं का भुगतान किया है।

निदेशक (AMG-1)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष रूपये	विगत वर्ष रूपये
देयताएं			
मूल / पूंजीगत निधि	1	1,63,81,19,418	1,65,04,05,456
आरक्षित और अधिशेष	2	83,55,518	95,65,660
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	3	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	40,60,29,958	39,13,48,205
कुल		**2,05,25,04,894**	**2,05,13,19,321**
संपत्तियां			
Fixed Assets	5	16,05,97,125	11,06,99,703
निर्धारित / बंदोबस्त निधि में से निवेश	6	-	-
चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम आदि	7	1,89,19,07,769	1,94,06,19,618
कुल		**2,05,25,04,894**	**2,05,13,19,321**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष रूपये	विगत वर्ष रूपये
आय			
अनुदान/सब्सिडी	8	80,00,00,000	85,00,00,000
शुल्कध्अंशदान	9	12,42,75,557	13,22,73,257
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	10	-	-
प्राप्त ब्याज	11	6,02,32,244	8,25,54,026
अन्य आय	12	6,53,30,733	5,42,71,418
विगत वर्ष की आय		1,26,34,682	6,31,305
कुल (क)		**1,06,24,73,216**	**1,11,97,30,006**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	15,57,00,418	15,07,30,152
अन्य प्रशासनिक व्यय	14	9,34,09,839	5,38,99,273
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	15	80,00,54,772	85,34,55,507
वित्तीय शुल्क	16	21,774	72,988
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	5	1,42,49,154	1,21,40,315
विगत वर्ष का व्यय		2,68,012	6,76,478
कुल (ख)		**1,06,37,03,969**	**1,07,09,74,713**
मूल / पूंजी निधि में अंतरण व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (क–ख)		**(12,30,753)**	**4,87,55,293**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 1– मूल /पूंजी निधि	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष	1,65,04,05,456		1,61,61,33,701	
जमाः शुद्ध आय का शेष (आय और व्यय खाते से अंतरण)	(12,30,753)		4,87,55,293	
जमा पूंजीगत व्यय, जो अब अपलिखित पूंजीकृत है।	-		-	
जमा/घटाः विगत वर्षों में समायोजन/प्रतिदेय प्रतिष्ठी ('लेखों पर टिप्पणिया अनुसूची 18, क्रम संख्या 7 देखें)	1,10,55,285	1,63,81,19,418	1,44,83,538	1,65,04,05,456
सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	-		-	
वर्ष के अंत में शेष		**1,63,81,19,418**		**1,65,04,05,456**

(Amount in Rs.)

अनुसूची 2– आरक्षित निधि एवं अधिशेषः	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी :				
विगत खाते के अनुसार	95,65,660		1,09,59,983	
घटा/जमाः समायोजन				
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	12,10,142		13,94,323	
(अनुसूची 5 में विवरण) में आरक्षित पूंजी में से आईसीपी–एमएस की कटौती आरक्षित से कम करना	83,55,518	83,55,518	95,65,660	95,65,660
2. विशेष आरक्षित निधिः				
विगत लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
3. सामान्य आरक्षित निधिः				
विगत लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
पूंजी निधि में अंतरण	-		-	
कुल	**83,55,518**		**95,65,660**	

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 3– निर्धारितध्बंदोबस्ती निधि	निधिवार–विवरण				
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय निधि	गैर बासमती विकास निधि	गेहूं विकास निधि	चालू वर्ष	विगत Year
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-
ख. निधियों के परिवर्धन:					
i. अनुदान/दान		-	-	-	-
ii. निधि से किये गये निवेश से आय					-
iii. अन्य परिवर्धन	-	-	-	-	-
कुल (क + ख)	-	-	-	-	-
ग. लक्ष्य हेतु निधियों का उपयोग/ व्यय					
i. पूंजीगत व्यय :					
- स्थाई संपत्ति	-	-	-	-	-
-परियोजनाओं के लिए दिए गये अनुदान	-	-	-	-	-
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदाय	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय :					
- वेतन,मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	-	-	-	-	-

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 4– चालू देनदारियां और प्रावधान :	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. चालू देनदारियां				
1. स्वीकृति	-	-	-	-
2. देय दावे	-	-	-	
3. संविधिक देनदारियां				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य	97,24,237		53,45,875	
4. अन्य चालू देयताएं	26,86,78,854	27,84,03,091	25,52,89,978	26,06,35,853
कुल (क)		**27,84,03,091**		**26,06,35,853**
ख. प्रावधान				
1. उपदान		6,62,18,343		6,69,79,388
2. पट्टा किराया के लिए अन्य प्रावधान		181		181
3. संग्रहित अवकाश नकदीकरण		5,13,27,105		5,09,93,608
4. प्राप्तियाँ		94,37,474		-
5. लेखा परीक्षा शुल्क		3,00,000		15,14,240
6. महंगाई भत्ता		2,69,865		2,69,865
6. वेतन		47,950		-
7. स्रोत पर कर कटौती		-		1,09,29,121
8. एफबीटी		25,949		25,949
कुल (ख)		**12,76,26,867**		**13,07,12,352**
कुल (क + ख)		**40,60,29,958**		**39,13,48,205**

(Amount in Rs.)

अनुसूची 6– निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश :	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		
गैर बासमती चावल		-		
गेहूं विकास निधि		-		
कुल		**-**		**-**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 5– स्थाई संपत्तियां

(राशि रूपये में)

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवाल ब्लॉक	
		01.04.2023 को लागत	30.09.2023 से पहले संपत्ति के लिए परिवर्धन	30.09.2023 के बाद संपत्ति के लिए परिवर्धन	2022–23 के दौरान कटौती	31.03.2023 को लागत	01.04.2022 तक मुल्यह्रास	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती /समायोजन	वर्ष के अंत तक कुल	31.03.2023 को चालू वर्ष	31.03.2022 को विगत वर्ष
भूमि ओर भवनः	10%											
क. मुफ्त कब्जा प्राप्त भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे पर भवन, दिल्ली		22,80,40,676	-	-	-	22,80,40,676	20,03,24,731	27,71,594	-	20,30,96,325	2,49,44,350	2,77,15,944
ग. दिल्ली गेस्ट हॉउस फ्लेट्स/ परिसर		93,08,962	-	-	-	93,08,962	57,40,144	3,56,882	-	60,97,026	32,11,936	35,68,818
घ. गुवाहाटी कार्यालय भवन		4,03,43,301	-	-	-	4,03,43,301	1,86,57,655	21,68,565	-	2,08,26,220	1,95,17,081	2,16,85,646
ड. मुंबई कार्यालय भवन		90,71,000	-	-	-	90,71,000	80,78,461	99,254	-	81,77,715	8,93,285	9,92,539
च. बेंगलुरु कार्यालय भवन		4,45,55,480	-	-	-	4,45,55,480	2,00,56,757	24,49,872	-	2,25,06,629	2,20,48,852	2,44,98,724
छ. पट्टे, भूमि, मोदीपुरम		1	-		-	1	-	-	-	-	1	1
ज. हैदराबाद कार्यालय भवन		38,56,300	-	-		38,56,300	1,92,815	3,66,349	-	5,59,164	32,97,136	36,63,485
झ. कोलकाता कार्यालय भवन		36,39,531	-	5,54,109		41,93,640	1,81,977	3,73,461	-	5,55,437	36,38,202	34,57,554
ञ. वाराणसी कार्यालय भवन		23,08,450	-	-		23,08,450	1,15,423	2,19,303	-	3,34,725	19,73,724	21,93,027
ट– चेन्नई कार्यालय भवन		-	18,60,000	-	-	18,60,000	-	1,86,000	-	1,86,000	16,74,000	-
ठ– मिर्जापुर में भूमि		-	5,40,40,400	-	-	5,40,40,400	-	-		-	5,40,40,400	-
प्लांट मशीनरी ओर उपकरण	15%	1,77,02,511	-	-	-	1,77,02,511	1,26,01,965	7,65,082	-	1,33,67,047	43,35,464	51,00,546
							-	-		-	-	-
वाहन	15%	39,55,304	-	-	-	39,55,304	29,67,814	1,48,123	-	31,15,938	8,39,366	9,87,489
							-	-		-	-	-
फर्नीचर ओर फिक्स्चर्स	10%	84,81,382	2,88,722	4,78,994	-	92,49,098	35,86,588	5,42,301	-	41,28,889	51,20,209	48,94,794
							-	-		-	-	-
कार्यालय उपकरण	15%	2,32,32,673	19,08,319	14,20,137	-	2,65,61,129	1,56,66,009	15,27,758	-	1,71,93,767	93,67,364	75,66,666
							-	-		-	-	-
कम्प्यूटर का सहायक उपकरण	40%	2,61,61,100	38,68,786	9,37,253	-	3,09,67,139	2,18,22,914	34,70,240	-	2,52,93,154	56,73,986	43,38,187
							-	-		-	-	-
सॉफ्टवेयर	40%	12,35,418	-	-	-	12,35,418	11,99,135	14,513	-	12,13,648	21,769	36,282
चालू वर्ष का कुल योग (क)		**42,18,92,089**	**6,19,66,227**	**33,90,493**	-	**48,72,48,809**	**31,11,92,387**	**1,54,59,296**	-	**32,66,51,683**	**16,05,97,125**	**11,06,99,703**
घटाः आरक्षित पूंजी से ह्रास								12,10,142				
(ख) (*10%/15%)*		**42,18,92,089**	**6,19,66,227**	**33,90,493**	-	**48,72,48,809**	**31,11,92,387**	**1,42,49,154**	-	**32,66,51,683**	**16,05,97,125**	**11,06,99,703**
विगत वर्ष का कुल योग एपीडा (ग)		**39,73,96,555**	**71,77,561**	**1,73,17,973**	-	**42,18,92,089**	**29,76,57,748**	**1,35,34,638**	-	**31,11,92,387**	**11,06,99,703**	**9,97,38,806**
घटाः आरक्षित पूंजी से हास्								13,94,323				
विगत वर्ष का कुल योग (ग–घ)		**39,73,96,555**	**71,77,561**	**1,73,17,973**	-	**42,18,92,089**	**29,76,57,748**	**1,21,40,315**	-	**31,11,92,387**	**11,06,99,703**	**9,97,38,806**

4.41 करोड़ रूपये का अनुदान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वर्ष 2001–02 में भवन की खरीद के लिए पूंजी व्यय के रूप में प्राप्त हुए और उसमें पहले ही पट्टे पर भवन शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार की अनुदान राशि को तब से आरक्षित पूंजी और 10 प्रतिशत मूल्यह्रास के रूप में आरक्षित पूंजी में प्रतिवर्ष समायोजित किया जाता है।

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 7– वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम :	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. वर्तमान संपत्ति				
1. विविध देनदार (विवरण समूह 5 में है)		-		-
2. रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट आदि सहित) (विवरण समूह 1 में है)		25,427		10,830
3. क. अनुसूची बेंकों में				
क. अनुसूची बेंकों में (विवरण समूह 6 में है)				
- चालू खातों पर	35,20,78,652		30,68,34,208	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	1,48,92,31,682		1,56,79,16,014	
- बचत खातों पर	-		-	
		1,84,13,10,334		1,87,47,50,222
		1,84,13,35,761		**1,87,47,61,051**

(राशि रूपये में)

B. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पतियाँ	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. ऋण:				
क. कर्मचारी (विवरण समूह 2 में है)	65,99,385		30,29,256	
ख. इकाई के समान क्रियाकलापों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-		-	
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	65,99,385		30,29,256
2. नकद में अथवा समान राशि में अथवा मूल्य में प्राप्त किये जाने वाली वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशि :				
क. पूंजी खाते	-		-	
ख. प्राप्तियां (विवरण समूह 3 में है)	3,02,44,881		4,39,20,613	
ग. सुरक्षा जमा (विवरण समूह 4 में है)	24,17,393		18,99,460	
	3,26,62,274		4,58,20,073	
3. अर्जित आय:				
(क.) (i) निर्धारितध्बंदोबस्ती निधि से निवेश	-			-
ii) न्य निवेशों पर (एफडीआर पर उपार्जित ब्याज)	1,13,10,350		1,70,09,237	
(iii) बीडीएफ और डब्ल्यूडीएफ की एफडी में निवेश		1,13,10,350	-	1,70,09,237
4. निधियों के लिए प्राप्य दावे		-		-
कुल (ख)		**5,05,72,008**		**6,58,58,566**
कुल (क+ ख)		**1,89,19,07,769**		**1,94,06,19,618**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 8– अनुदान / सब्सिडी (स्थाई अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. केंद्र सरकार				
नियोजित व्यय (नीचे नोट–1 देखें)	80,00,00,000		85,00,00,000	
अनियोजित व्यय	-	80,00,00,000		85,00,00,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	-		-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-		-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-		-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-		-
6. अन्य	-	-		-
कुल		**80,00,00,000**		**85,00,00,000**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 9– शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. पंजीकरण शुल्क		5,67,23,230		5,79,06,977
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		-		-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-		-
4. परामर्श शुल्क		-		-
5. बासमती चावल के लिए अनुबंधों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क (आर्सिएम्सी)		6,75,52,327		7,43,66,280
कुल		**12,42,75,557**		**13,22,73,257**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 10– रॉयल्टी प्रकाशन, आदि से आय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
प्रकाशनों से आय		-		-
कुल		**-**		**-**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 11– प्राप्त ब्याज	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. सावधि जमा पर:		
क. अनुसूचित बैंकों में	5,18,03,329	8,25,51,999
ख. गैर अनुसूचित बेंकों में		
ग. संस्थानों में		
घ. अन्य		
2. बचत खतों पर		
क. अनुसूचित बैंकों में	3,095	2,027
ख. गैर अनुसूचित बेंकों में		
ख. गैर अनुसूचित बेंकों में		
घ. अन्य		
3. घ. अन्य		
क. कर्मचारी/स्टाफ	7,988	-
ख. अन्य		
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	84,17,832	
कुल	**6,02,32,244**	**8,25,54,026**

नोटः– वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 26 एएस के अनुसार स्रोत पर कर कटौती 5,02,213 रूपये है

(राशि रूपये में)

अनुसूची 12– अन्य आय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. बिक्री/सम्पत्तियों के निपटान पर लाभ	-	-
क. स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख. अनुदान से प्राप्त अथवा निशुल्क प्राप्त संपत्तियां		
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राशि		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	6,53,30,733	5,42,71,418
4. विविध आय	-	-
a. क. बट्टे खाते में डाला गया व्यय	-	-
कुल	**6,53,30,733**	**5,42,71,418**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 13– स्थापना व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. वेतन और परिश्रम	62,741,69	5 64,434,362
ख. भत्ते और बोनस (विवरण समूह 7 में है)	51,798,936	45,474,249
ग. भविष्य निधि में योगदान	9,758,617	9,294,329
घ. अन्य निधियों में योगदान (निर्दिष्ट करे)	-	-
ड. कर्मचारी कल्याण व्यय	953,191	745,241
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व्यय और सेवानिवृत्ति लाभ (विवरण समूह 8 में है।)	11,144,199	14,299,619
छ. प्रशासनिक शुल्क	18,879,221	16,284,618
ज. मानदेय	424,559	197,734
कुल	**155,700,418**	**150,730,152**

(Amount in Rs.)

अनुसूची 11– अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. विद्युत् और शक्ति	43,27,450	47,96,063
ख. बीमा	47,059	40,954
ग. मरम्मत और रखरखाव (विवरण समूह 9 में हैं)	2,51,90,909	1,31,81,198
घ. किराया, दरें और कर	31,41,755	41,72,302
ड. डाक,टेलीफोन और संचार शुल्क (विवरण समूह 10 में है)	15,61,715	19,17,043
च. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	57,32,929	17,17,037
छ. यात्रा और परिवहन व्यय (विवरण समूह 11 में है)	3,27,04,603	1,28,60,058
ज. समाचार पत्र व्यय	3,36,712	4,93,411
झ. बैठक और शुल्क पर व्यय	27,15,020	19,63,007
ञ. लेखा परीक्षकों के मानदेय	3,00,000	3,00,000
ट. कम्प्यूटर का सामान	17,47,579	3,63,379
ठ. कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	30,79,038	25,05,033
ड. फोटोकॉपी शुल्क	55,922	55,940
ढ. प्रचार खर्च	1,02,323	77,366
ण. विविध व्यय	3,72,257	16,63,772
त. कार्यालय व्यय	44,99,696	26,39,887
थ. सुरक्षा शुल्क	68,27,970	51,52,822
द. अंतरित अनुदान पर खर्च	6,66,902	-
कुल	**9,34,09,839**	**5,38,99,273**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 15– अनुदान,सब्सिडी आदि ग अनुदान,सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी				
परिवहन सहायता	-		-	
अवसंरचना विकास	23,60,29,041		24,75,69,833	
बाजार विकास	44,78,99,783		48,10,79,228	
गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	6,21,21,188		7,01,16,565	
पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)	5,40,04,761		5,46,89,881	
कृषि निर्यात नीति (एईपी)	-	80,00,54,772	-	85,34,55,507
कुल		**80,00,54,772**		**85,34,55,507**

(Amount in Rs.)

अनुसूची 11– वितीय शुल्क	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
बैंक शुल्क		21,774		72,988
कुल		**21,774**		**72,988**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपए में)

समूह 1 – नकद शेष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
गुवाहाटी कार्यालय	521	521
दिल्ली	696	696
मुंबई	228	228
बेंगलुरु	9,649	4,167
हैदराबाद	611	2,985
चेन्नई	13,722	1,782
वाराणसी	-	451
कुल	**25,427**	**10,830**

(राशि रूपए में)

समूह 2 – कर्मचारियों को अग्रिम	चालू वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा का	1,00,299	41,699
हॉउस बिल्डिंग	3,98,615	5,63,651
मोटर वाहन	(2,383)	3,783
कंप्यूटर	4,680	9,313
विविध	11,38,184	12,35,856
एलटीसी	2,24,520	1,32,054
चिकित्सा	11,63,465	82,844
विदेशी मुद्रा विनियम	35,72,005	9,60,056
कुल	**65,99,385**	**30,29,256**

(राशि रूपए में)

समूह 3 – प्राप्य राशियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
टीडीएस– डब्ल्यूडीफ से घटाया	-	2,44,233
टीडीएस – एसटीडी से कटौती	-	1,26,10,384
टीडीएस प्राप्य (2017–18)	-	55,974
टीडीएस प्राप्य (2018–19)	31,38,792	31,38,792
टीडीएस प्राप्य (2019–20)	4,59,075	4,59,075
टीडीएस प्राप्य (2020–21)	4,24,051	4,24,051
टीडीएस प्राप्य (2021–22)	3,59,761	-
टीडीएस प्राप्य (2022–23)	25,949	25,949
एफबीटी प्रतिदेय	17,786	17,786
एयर इंडिया से वसूली योग्य	11,47,572	11,47,572
प्रतिनिधिमंडलों से वसूली योग्य	79,14,350	79,14,350
प्राप्य सेवा कर (2016–17)	90,457	90,457
फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	62,389	62,389
भारतीय तिलहन एवं उपज निर्यात संवर्धन परिषद		
आवासीय किराया	42,231	23,231
रिलायबल फ्रेश	1,48,445	1,48,445
आईटीपीओ से प्राप्य	1,58,110	1,58,110
ऐरिया से प्राप्य	25,000	25,000
ईपीएफओ से प्राप्य	38,93,426	38,93,426
जीएसटी प्राप्य	1,21,21,169	58,32,883
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड	31,857	31,857
हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड,	69,405	69,405
बीकानेरवाला फूड्स प्रा. लिमिटेड	35,389	35,389
फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	15,000	15,000
VI एक्सपोर्ट्स इंक.	-	9,38,100
प्रीपेड अन्य प्रशासनिक व्यय	4,667	-
अशोक गर्ग एंड कंपनी	60,000	-
कुल	**3,02,44,881**	**4,39,20,613**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

ग्रुपिंग 4 – सुरक्षा जमा	चालू वर्ष	विगत वर्ष
टेलीफोन	367,554	367,554
टेलेक्स	55,900	55,900
डीएवीपी	210,000	210,000
अन्य – इस्टेट का एडी/बीएमएस डिवीजन	32,505	32,505
पेट्रोल	51,881	51,881
सुरक्षा जमा प्राप्य	1,573,078	1,081,620
स्पाइस बोर्ड–कोच्चि	26,475	-
बीपीसीएल	100,000	100,000
कुल	2,417,393	1,899,460

(राशि रूपए में)

समूह 5 – विविध कर्जदार	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कुल	-	-

(राशि रूपए में)

समूह 7 – भत्ते और बोनस	चालू वर्ष	विगत वर्ष
महंगाई भत्ता	21,713,053	16,110,166
अतिरिक्त समय भत्ता	-	11,503
अन्य भत्ता	15,364,711	15,112,339
अवकाश यात्रा भत्ता	1,288,847	992,285
परिवहन भत्ता	5,173,632	5,009,007
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	6,726,156	6,693,497
बोनस (तदर्थ)	827,572	707,572
ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति भत्ता	704,965	837,880
कुल	51,798,936	45,474,249

(राशि रूपए में)

समूह 8 – कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति पर व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ग्रेच्युटी	5,070,065	7,097,194
अवकाश नकदीकरण	6,074,134	7,202,425
कुल	11,144,199	14,299,619

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूह 6

(राशि रूपए में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम और स्थान	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		चालूध्बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि	चालूध्बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि
1	केनरा बैंक, बेंगलुरु	550,889	-	550,889	355,302	-	355,302
2	केनरा बैंक, दिल्ली	110,576,762	860,724,157	971,300,919	93,253,460	974,376,489	1,067,629,949
3	केनरा बैंक, गुवाहाटी	172,658	-	172,658	64,861	-	64,861
4	केनरा बैंक, हैदराबाद	7,779	-	7,779	1,408,786	-	1,408,786
5	केनरा बैंक, मुंबई	739,635	-	739,635	763,965	-	763,965
6	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली	10,255,026		10,255,026	-	-	-
7	इंडियन बैंक, दिल्ली	3,750,485	-	3,750,485	1,040,259	-	1,040,259
8	एचडीएफसी बैंक, दिल्ली	9,441,518	146,500,000	155,941,518	27,905,090	95,500,000	123,405,090
9	एचडीएफसी बैंक, हौज खास, दिल्ली	1,076,556	388,500,000	389,576,556	19,183,671	287,000,000	306,183,671
10	भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	163,783,144	25,220,140	189,003,284	214,340,326	74,519,226	288,859,552
11	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता	179,934	-	179,934	244,738	-	244,738
12	एचडीएफसी बैंक, वाराणसी	685,576	-	685,576	164,579	-	164,579
13	आईसीआईसीआई बैंक, दिल्ली	49,836,891	68,287,385	118,124,276	(53,018,337)	136,520,299	83,501,962
14	भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नई	311,754	-	311,754	389,930	-	389,930
15	भारतीय स्टेट बैंक, कोच्चि	37,838	-	37,838	55,646	-	55,646
16	जम्मू एवं कश्मीर बैंक,	37,819	-	37,819	65,360	-	65,360
17	एचडीएफसी बैंक, अहमदाबाद	105,104	-	105,104	102,009	-	102,009
18	एचडीएफसी बैंक, भोपाल	407,090	-	407,090	339,355	-	339,355
19	एचडीएफसी बैंक, चंडीगढ़	42,317	-	42,317	175,207	-	175,207
20	भारतीय स्टेट बैंक, विशाखापत्तनम	79,874	-	79,874	-	-	-
	कुल	**352,078,652**	**1,489,231,682**	**1,841,310,334**	**306,834,208**	**1,567,916,014**	**1,874,750,222**

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
Kumar Gautam
(सहायक प्रबंधक)
(Assistant Manager)

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपए में)

समूह 9 – मरम्मत और रखरखाव	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार्यालय परिसर	22,153,654	10,868,922
कार्यालय के उपकरण	1,017,956	909,015
कंप्यूटर और कंप्यूटर सहायक उपकरण	388,243	679,916
एपीडा गेस्ट हाउस, दिल्ली	355,105	407,719
स्टाफ कार	1,275,951	315,626
कुल	25,190,909	13,181,198

(राशि रूपए में)

समूह 10 – डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार्यालय टेलीफोन शुल्क	1,034,243	1,272,706
आवासीय टेलीफोन शुल्क	173,216	380,093
डाक और कूरियर	354,256	264,244
कुल	1,561,715	1,917,043

(राशि रूपए में)

समूह 11 – यात्रा और वाहन	चालू वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा किराया (घरेलू)	15,535,423	3,772,432
वाहन	3,131,706	1,996,234
दौरा और यात्रा व्यय	14,037,474	7,091,392
कुल	32,704,603	12,860,058

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2023 की तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह

(राशि रूपए में)

1. वेतन और पारिश्रमिक	चालू वर्ष	विगत वर्ष
मूल वेतन	57,589,418	58,882,462
अनुबंध वेतन	5,152,277	5,551,900
कुल	62,741,695	64,434,362

(राशि रूपए में)

2. सांविधिक देनदारियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ईपीएफ में कर्मचारियों का योगदान	1,396,008	1,246,757
टीडीएस कर्मचारी	788,890	912,098
टीडीएस अनुबंध	1,181,903	80,886
टीडीएस किराया	4,977,413	1,839,390
टीडीएस व्यवसायी	139,079	1,102,535
टीडीएस–जीएसटी	1,240,944	164,209
कुल	9,724,237	5,345,875

(राशि रूपए में)

3. अन्य चालू देनदारियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अन्य विविध देनदार		
ईएमडी (जमा)	850,000	1,250,000
ईएमडी–फाल्कन एक्सिबिशन	100,000	100,000
ईएमडी सेवेंटी सेवन	36,000	36,000
बीईडीएफ द्वारा एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम	263,127	-
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ)	15,620,285	17,274,329
कैटलिस्ट सोल्यूशन	421,974	421,974
जीआईसी	37,335	37,330
राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र	255,095	255,095
मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड	427,282	427,282
अथर्व इंटरनेशनल	748,719	748,719
वाची इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड,	441,576	441,576
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय लेजर	158	158
लाइसेंस शुल्क	-	19,110
एलआईसी–एसएसएस	7,867	10,800
सिक्स्थ प्री. मार्केटिंग	176,070	176,070
सिटी ट्रेवल्स	-	34,978
भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	54,000	54,000
वेतन देय	5,822,005	112,927
अनुबंध वेतन देय	263,340	-
बीईडीएफ को देय एफडी पर टीडीएस	1,900,158	1,900,158
अन्य देनदारियाँरू		
एपीडा कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसायटी	523,646	486,915
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय	240,241,731	231,014,071
सुरक्षा जमा देय	488,486	488,486
कुल	268,678,854	255,289,978

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2023 की तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह

(राशि रूपए में)

4. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	चालू वर्ष	विगत वर्ष
विविध. प्राप्तियां	11,563,177	42,515
प्रत्यायन शुल्क	1,330,458	5,867,797
सामान्य प्राप्तियां	5,790,869	4,630,565
मीट प्लांट शुल्क	1,765,508	80,000
पैक हाउस शुल्क	435,000	-
मूंगफली इकाई शुल्क	1,860,000	-
सुअर इकाई शुल्क	25,000	-
विविध. रसीद–एफएसएमएस प्रमाणीकरण	150,000	-
सूचना का अधिकार	200	1,200
चीनी (आयात) शुल्क	5,110,115	7,886,309
निगरानी शुल्क	366,102	150,000
प्रक्रिया शुल्क (5:)	19,350,336	33,638,029
निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) शुल्क	16,576,293	-
एनपीओपी शुल्क	823,777	1,950,003
एचएसीसीपी पंजीकरण शुल्क	183,898	25,000
कुल	65,330,733	54,271,418

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
प्रारंभिक शेष			व्यय रू	-	-
रोकड़ शेष	10,830	14,640	स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	113,666,810	14,110,736
बैंक में शेष			बैंक शुल्क	21,774	72,988
चालू खाते में	306,834,208	72,199,392			
जमा खातों में	-	-	विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
बचत बैंक खातों में	-	-			
			परिवहन सहायता	-	-
प्राप्त अनुदान			अवसरंचना विकास	236,029,041	247,569,833
भारत सरकार से			बाजार का विकास	447,899,783	481,079,228
नियोजित योजनाओं के लिए	800,000,000	850,000,000	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	62,121,188	70,116,565
गैर नियोजित योजना व्यय के लिए	-	-	पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)	54,004,761	54,689,881
विशिष्ट निधियों के लिए (निर्धारित की गई)	-	-	कृषि निर्यात नीति (एईपी)	-	-
विशिष्ट निधि (पूँजीगत संपत्ति) के लिए	-	-			
			निर्धारितध्बंदोबस्ती निधि में से	-	-
से निवेश पर ब्याज			वर्तमान देनदारियों में कमी	115,003,960	51,615,447
निर्धारितध्बंदोबस्ती निधि	-	-			
हमारी पूंजी	-	-	अचल सम्पतियों की खरीद	65,356,720	24,495,534
प्राप्त ब्याजरू			विशिष्ट अनुदानधनिधि के लिए भुगतान		
सावधि जमा	30,746,490	24,884,027	अप्रयुक्त अनुदान के लिए भुगतान	-	-
बचत बैंक जमा	879,175	-			
आयकर प्रतिदेय	8,417,832	-			
			अन्य भुगतानरू		
आयरू			कर्मचारियों को अग्रिमध्ऋण	294,153	452,394
प्रक्रिया शुल्क(आरसीएसी)	67,552,327	111,080,855	बकाया देनदारियों का भुगतान	-	-
पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)	56,723,230	58,039,677	बीईडीएफ को भुगतान (आरसीएसी शुल्क के लिए)	41,607,431	-
विविध रसीदें (अन्य शुल्क)	65,330,733	28,303,495	व्यय (एमएआई अनुदान)	-	-
			किए गए सावधि जमा	1,097,317,993	942,500,000
परियोजना प्राप्तियां रू					
अवसरंचना विकास	-	-	वैधानिक दायित्वरू——		
बाजार का विकास	135,438,748	6,211,128	टीडीएस (जीएसटी पर)	1,122,550	-
अन्य	-	-	टीडीएस (आयकर)	23,439,642	15,915,200
			ईपीएफ	12,956,492	12,945,355
अन्य प्राप्तियां			जीएसटी	10,767,186	24,990,689
ऋण के बदले कर्मचारियों से प्राप्तियाँ	4,556,020	1,132,457			
बीजी के आह्वान से प्राप्तियां	-	-	कर्मचारी कल्याण पर व्यय रू———		
आयकर प्रतिदेय	24,132,385	-	स्थायी कर्मचारियों का वेतन	64,793,333	66,974,159
ईएमडी (जमा)	-	-	संविदा कर्मचारी का वेतन	3,283,661	3,845,878
अन्य रसीदें (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय)	6,455,365	55,078,031	कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसायटी	4,381,569	4,420,484
एमएआई अनुदान	-	-			
			अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय	-	-
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	-	-	अंतिम शेष द्वारा रू		
सावधि जमा परिपक्व	1,199,094,783	1,115,695,706	रोकड़ शेष	25,427	10,830
			बैंक में शेष राशि		
			चालू खाते में	352,078,652	306,834,208
			जमा खातों में		
			बचत बैंक खातों में		
कुल	2,706,172,125	2,322,639,408	कुल	2,706,172,125	2,322,639,408

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए लाभ समाधान विवरण

अनुसूची संख्या	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष	अंतर	चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव
8	अनुदान / सब्सिडी	800,000,000	850,000,000	50,000,000)	घटोत्तरी
9	शुल्क / अंशदान	124,275,557	132,273,257	(7,997,700)	घटोत्तरी
10	रॉयल्टी से आय	0	0	-	–
11	प्राप्त ब्याज	60,232,244	82,554,026	22,321,782)	घटोत्तरी
12	अन्य आय	65,330,733	54,271,418	11,059,315	बढ़ोत्तरी
13	स्थापना व्यय	155,700,418	150,730,152	(4,970,266)	घटोत्तरी
14	अन्य प्रशासनिक व्यय	93,409,839	53,899,273	(39,510,566)	घटोत्तरी
15	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	800,054,772	853,455,507	53,400,735	बढ़ोत्तरी
16	वित्तीय शुल्क	21773.95	72987.59	51,214	बढ़ोत्तरी
	विगत अवधि आय	12,634,682	631,305	12,003,377	बढ़ोत्तरी
	विगत अवधि व्यय	268,012	676,478	408,466	बढ़ोत्तरी
5	मूल्यह्रास	14,249,154	12,140,315	(2,108,839)	घटोत्तरी
	लाभ पर शुद्ध प्रभाव			49,986,047)	घटोत्तरी
	लाभ और हानि खातों के अनुसार शुद्ध लाभ	(1,230,753)	48,755,293	49,986,046)	घटोत्तरी

तरूण बजाज
(निदेशक)

कुमार गौतम
(सहायक प्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17– महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की पद्धति पर आधारित हो।

राजस्व मान्यता:

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और राजस्व आय के रूप में माना जाता है। उस पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

(ख) जमा राशियों पर ब्याज की गणना प्रोद्भवन(।बबतनंस) आधार पर की जाती है।

(ग) प्राप्त पंजीकरण शुल्क को राजस्व आय के रूप में माना जाता है।

2. इन्वेंटरी वैल्यूएशन

एपीडा न तो किसी निर्माण गतिविधि और न ही किसी व्यापारिक गतिविधि में संलग्न है और न ही किसी स्टॉक रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है।

3. निवेश

सावधि जमा में किए गए निवेश को ग्रुपिंग 6 के तहत बैंक बैलेंस में दिखाया जाता है।

4. पुनः समूहीकरण

पिछले वर्ष के आंकड़ों को बेहतर प्रस्तुति और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक पाए जाने पर पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

5. अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है, जिसमें आंतरिक माल ढुलाई, और अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय (शुल्क और करों को छोड़कर) शामिल हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व–परिचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का हिस्सा हैं।

वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर पूंजीकृत किया जाता है।

विशेष रूप से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीकृत किया जाता है और तदनुरूपी राशि को कैपिटल रिजर्व खाते में रखा गया है। ऐसी अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लागू दरों के अनुसार प्रभारित किया जा रहा है और ऐसी पूंजी भंडार से समतुल्य राशि कम कर दी गई है।

6. मूल्यह्रास

वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मौद्रिक अनुदान से अधिग्रहीत अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर पूंजीकृत किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

सरकारी अनुदानध्सब्सिडी की गणना वसूली के आधार पर की जाती है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को निर्धारित निधि और संबंधित व्यय के तहत दिखाया जाता है और संबंधित निधि के तहत हिसाब लगाया जाता है।

8. कोष/पूंजीगत निधि

वर्तमान वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय की कोई भी अतिरिक्त कोषध्पूंजीगत निधि अंतरित की जाती है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन–देन का हिसाब लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर लगाया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभध्हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्तियों से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में माना जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रावधान की गणना इस धारणा के आधार पर की जाती है कि कर्मचारियों को वर्ष के अंत में पूरी देनदारी देय है।कर्मचारियों को देय संचित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की गणना इस धारणा पर की गई है कि कर्मचारी वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

11. भंडार और अधिशेष

इसमें कैपिटल रिजर्व होता है जो पहले के वर्षों में प्लांट और मशीनरी की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए बनाया गया था।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18– आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. आकस्मिक देयताएं		
इकाई के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
अंगूर के निर्यातकों द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए दायर किए गए दावे	रु. 31.24 करोड़	रु. 31.24 करोड़
एपीडा द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी के संबंध में	शून्य	शून्य
एपीडा की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	शून्य	शून्य
बैंकों में छूट दिए गए बिल	शून्य	शून्य
निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग		
आयकर/टीडीएस'	शून्य	शून्य
नगरपालिका कर	शून्य	शून्य
सेवा कर''	रु. 8.85 करोड़	रु. 8.85 करोड़
	GST	— —
**आयुक्त के आदेश के विरुद्ध एक याचिका दायर की गयी है । **वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान A/Y 2008-09; 09-10; 2016-17; 2017-18 से संबन्धित रु.3,25,50,217.00 की वापसी।		
गैर–निष्पादन आदेशों के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, लेकिन एपीडा द्वारा प्रतिवाद किया गया	शून्य	शून्य

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों पर अनुमानित मूल्य और प्रदान नहीं किया गया (अग्रिम का शुद्ध) रु. शून्य रु. शून्य

3. लीज बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी की राशि के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य के दायित्व रु. शून्य रु. शून्य

4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य है, जो तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान

(क) एपीडा की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29ए)(एफ) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है और इसलिए, आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) विभागीय सेवा करध्जीएसटी लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

(ग) एपीडा ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान नियमित आधार पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह और भुगतान किया है। जीएसटी रिटर्न जीएसटी कानूनों के अनुसार दाखिल किए गए हैं।

(घ) टीडीएस काट लिया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है। और वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस रिटर्न भी नियमित रूप से दाखिल किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

सी.आई.एफ. आधार पर परिकलित आयात का मूल्यरू	चालू वर्ष	विगत वर्ष
तैयार माल की खरीद	शून्य	शून्य
कच्चे माल और घटक (पारगमन सहित)	शून्य	शून्य
पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
स्टोर पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्ययः		
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में भेजा गया धन और ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य व्ययः		
प्रचार गतिविधियाँ (प्रतिनिधिमंडल की यात्रा, विदेश यात्रा सहित)	शून्य	शून्य
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	शून्य	शून्य
किताबें और साहित्य	शून्य	शून्य
अवसंरचना विकास पूंजी परियोजना	शून्य	शून्य
आयः		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. निधि/पूंजीगत निधि समायोजन–शुद्ध राशि रु.1,44,83,538.00 रु.4,53,75,000.00

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निधि/पूंजीगत निधि को निम्नलिखित राशियों द्वारा समायोजित किया गया हैः

- एच.एम.01. के अनुसार प्राप्तियों के लिए 94,37,47400 रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जारी एच.एम–13 और 05 के अनुसार 15,74,527.00 रुपये की राशि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को वापस की जाने योग्य दिखाई गई।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जारी एचएम–11 के अनुसार एएमसी के लिए 47,950.00 करोड़ रुपये की राशि प्रावधान की राशि है।

8. पूर्व अवधि आय रु.1,26,34,682.00 रु.6,31,305.00

- 46,63,038.00 रुपये पिछले वर्षों की टीडीएस प्राप्तियों की राशि है।
- केनरा बैंक द्वारा पिछले वर्ष और चालू वर्ष में जारी सावधि जमा ब्याज प्रमाणपत्रों में 31,59,273.00 रुपये का अंतर है।
- 40,60,000.00 रुपये वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान रिफंड जारी किए जाने के बाद से टीडीएस प्रावधानों की वापस लेने की राशि है।
- 68,69,121.00 रुपये वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान रिफंड जारी किए जाने के बाद से टीडीएस प्रावधानों को वापस लेने की राशि है।
- एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी सावधि जमा ब्याज प्रमाणपत्रों में 3,60,952.00 रुपये का अंतर है।
- 5,08,66000 रुपये लेखा परीक्षा शुल्क प्रावधानों के प्रत्यावर्तन की राशि है।

9. पूर्व अवधि व्यय | रु.2,68,012.00 | रु.6,76,478.00

- जीएसटी/सेवा कर विभाग द्वारा आयोजित सेवा कर की विशेष लेखा परीक्षा के तहत 01.10.2016 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए 2,68,012.00 रुपये सेवा कर की देय राशि है।

10. 30,93,845/– रुपये की एक आकस्मिक परिसंपत्ति है, जिस पर तानहोडा से ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया गया था और परियोजना की राशि 4% ब्याज सहित तानहोडा द्वारा वापस कर दी गई थी। हालांकि कैग ने ब्याज दर 10% करने की सिफारिश की थी। इसलिए रु. 30,93,845/– की राशि ब्याज की दर के बीच का अंतर 6% ब्याज राशि को दर्शाती है।

11. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पंजाब राज्य सहकारी (मार्कफेड) से 61,08,000.00 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को वापसी योग्य दिखाया गया है।

12. वर्तमान देनदारियां और प्रावधानः

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधानः लेखापरीक्षा शुल्क (आईएएडी)	रु 3,00,000	रु 3,00,000

एपीडा द्वारा अनुसरित लेखांकन मानकों की सूचीः

के रूप में –1	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
के रूप में –5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन
के रूप में –6	मूल्यह्रास लेखा
के रूप में –9	राजस्व मान्यता
के रूप में –10	अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन
के रूप में –12	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन
के रूप में –15	कर्मचारी लाभ
के रूप में –29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, भारत सरकार)

पता : तीस मन्जिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रान्ति मार्ग, (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 91-11-2867007, 20867008, 20863919, 26850301, 41486013
ई-मेल : headq@apeda.gov.in • **वेबसाईट :** www.apeda.gov.in